श्री अबरार अहमद कमर, अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा दिनांक 17.08.2013 को अंचल कार्यालय, गम्हरिया के राजस्व कार्यो की समीक्षा से संबंधित समीक्षात्मक टिप्पणी।

....

दिनांक 17.08.2013 को अंचल कार्यालय , गम्हरिया में किये जा रहे राजस्व सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यो की समीक्षा की गई , स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

अंचल अधिकारी, गम्हरिया समीक्षा के दौरान उपस्थित नहीं थे । अंचल अधिकारी दिन के 12.45 बजे उपस्थित हुए ।

<u>वासरहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना</u> :-

वासरहित महादलित परिवारों को प्रत्येक परिवार 03 डी0की दर से वास भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा की गई । अंचल कार्यालय , गम्हरिया में 31 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना है । परन्तु उसमें से इन्दिरा आवास प्राप्त ,अन्य श्रोतों से वास भूमि प्राप्त तथा अन्यत्र चले गये महादलितों की जाँच कर सर्वेक्षित सूची से उसकी सूची विलोपन हेतु बनानी है तथा शेष विशुद्ध रुप से वासरहित महादलितों को वास भूमि उपलब्ध कराना है , लेकिन अंचल अधिकारी, गम्हरिया इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहें हैं। इस अंचल में मूल सर्वेक्षण सूची से विलोपन हेतु इन्दिरा आवास प्राप्त ,अन्य श्रोतों से वास भूमि प्राप्त तथा अन्यत्र चले गये महादलितों की सूची एवं विशुद्ध रुप से भूमि उपलब्ध कराने हेतु अलग सूची बनानी थी जो यहाँ नहीं बनाई गई है । इस कार्य के लिए जिला स्तर से अनेक पत्र भेजे गये हैं, जिसका अनुपालन अब तक नहीं किया गया है ।

अंचल अधिकारी, गम्हरिया श्री हृदय नारायण दास द्वारा मौखिक रुप से बताया गया 31 में से मात्र 15 परिवारों को ही भूमि उपलब्ध कराना है , शेष 16 परिवार विलोपित होंगे। परन्तु 15 विशुद्ध परिवार एवं 16 विलोपन हेतु संभावित परिवारों की सूची भी अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा तत्काल उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे । उन्हें निदेश दिया गया कि समय पर वे कार्यालय आया करें तथा तीन दिनों के अन्दर महादलितों से संबंधित दोनों प्रकार की सूची तैयार कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

<u>नामांतरण</u> :-

नामांतरण की समीक्षा के क्रम में माह जुलाई 2013 के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 01.04.2013 से गत माह तक दायर दाखिल खारीज वादों की संख्या 609 ,प्रतिवेदित माह तक दायर वादों की संख्या-258 एवं कुल दायर वादों की संख्या- 867 है, जिसके विरुद्ध 720 वादों का निष्पादन किया गया है तथा 147 मामले लंबित बताये जा रहे हैं। हल्का कर्मचारी/ भूधारी और रक्षी संचिका में चिपकाये गये शुद्धि पत्रों की संख्या 720 बताई गई है । समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि जबसे आर0टी0पीस0एस0 लागू हुआ है तबसे शुद्धि पत्र की रक्षी संचिका का संधारण नहीं हो रहा है । शुद्धि पत्र को अभिलेख के साथ ही रखा जाता है । स्वीकृत नामान्तरण वादों के शुद्धिपत्र संबंधित हल्का कर्मचारी को प्राप्त नहीं कराया जाता है तथा शुद्धिपत्र आवेदक भूधारियों को भी प्राप्त नहीं कराया जाता है, क्योंकि प्राप्ति का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका । नामांतरण पंजी समीक्षा के दौरान मांग करने पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी, जिस कारण नामांतरण के वास्तविक आंकड़ों का मिलान संभव नहीं हो सका । अंचल अधिकारी ने बताया कि नामांतरण वादों की प्रविष्टि हेतु नामांतरण पंजी कर्मचारी को दी गई है , पंजी कार्यालय में नहीं है। अंचल अधिकारी को ताकीद की गयी कि वे नामांतरण पंजी का संधारण अंचल कार्यालय में ही करें।

समीक्षा के क्रम में कुछ नामांतरण अभिलेखों का भी Randomly अवलोकन किया गया । केश नं0 400/13-14 बनाम परशुराम यादव पिता सत्य ना0 यादव सा0 कौड़िहार के नाम से

संधारित है । इस मामले को 20.06.13 को स्वीकृत किया गया है। सूचना दो प्रति में अभिलेख में संलग्न है। राजस्व कर्मचारी अथवा भूधारी को सूचना का तामिला नहीं कराया गया है । ऐसा लगता है कि बिना सूचना का तामिला कराये ही दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई है। शुद्धि पत्र एक प्रति में अभिलेख में संलग्न है परन्तु हल्का कर्मचारी अथवा भूधारी को हस्तगत कराया गया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है ।

केश नं0 401/13-14 बनाम परशुराम यादव पिता सत्य ना0 यादव सा0 कौड़िहार के नाम से संधारित है । इस मामले को 20.06.13 को स्वीकृत किया गया है। सूचना दो प्रति में अभिलेख में संलग्न है। राजस्व कर्मचारी अथवा भूधारी को सूचना का तामिला नहीं कराया गया है । ऐसा लगता है कि बिना सूचना के ही दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई है। शुद्धि पत्र एक प्रति में अभिलेख के साथ संलग्न है परन्तु हल्का कर्मचारी अथवा भूधारी को हस्तगत कराया गया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है।

इसी प्रकार नामांतरण वाद सं0 403/13-14 में दिनांक 20.06.2013 को अंचल अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है। अभिलेख के साथ संलग्न नोटिश के पीठ पर " नोटिश तामिला किया " पर मो0 आजाद का हस्ताक्षर है परन्तु प्रार्पतकर्त्ता का हस्ताक्षर नहीं है। शुद्धि पत्र हल्का कर्मचारी को हस्तगत कराया गया हो , इसका कोई प्रमाण नहीं है ।

नामांतरण वाद संख्या 400/13-14 से वाद सं0 460 /2013-14 तक के सभी अभिलेखों में कमावेश यही स्थिति पाई गई । सूचना का तामिला सही ढ़ंग से नहीं कराया गया है। शुद्धि पत्र राजस्व कर्मचारी को अथवा भूधारी को हस्तगत कराया गया हो , इसका कोई प्रमाण नहीं है।

इस प्रकार नामांतरण वादों की स्वीकृति में भी लापरवाही एवं नियम की अनदेखी दृष्टिगोचर हुई । शुद्धि पत्र को रक्षी संचिका में चिपका कर नहीं रखा जाता है , सूचना का तामिला भी विधिवत नहीं कराया गया है तथा समय पर शुद्धि पत्र भी हल्का कर्मचारी को हस्तगत नहीं कराया जाता है । इस संबंध में अंचल अधिकारी, गम्हरिया एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक, गम्हरिया को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

बेदखली :-

अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा बताया गया कि इस अंचल में अब तक सरकारी भूमि से बेदखली के एक भी मामले प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन रैयती भूमि के बेदखली के अनेक मामले आते हैं किन्तु उन्हें पंजीबद्ध नहीं कराया जा सका है। पंजीबद्ध कराने का निदेश दिया गया है। यह भी निदेश दिया गया कि हल्का वार सर्वेक्षण कराकर सरकारी भूमि के अतिक्रमण तथा सरकारी भूमि के बंदोवस्तदारों की बेदखली के मामले यदि प्रकाश में आते हैं तो उन्हें पंजीबद्ध कर अग्रेतर कार्रवाई करें।

न्यास/वक्फ बोर्ड :-

जुलाई 2013 के मासिक प्रतिवेदन में प्रतिवेदन शून्य अंकित है। परन्तु अंचल अधिकारी, गम्हरिया एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक, गम्हरिया द्वारा बताया गया कि न्यास बोर्ड के एक मामला भेलवा पंचायत के बभनी गॉंव में प्रकाश में आया है, परन्तु तत्संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन समीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये जा सके। प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया ।

नजारत :-

अंचल नजारत , गम्हरिया की समीक्षा की गई । सामान्य रोकड़ पंजी तथा सहायक रोकड़ पंजियॉं दिनांक 23.07.2013 तक ही लिखी गई है, उसके बाद से रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया गया है । प्रधान सहायक श्री प्रदीप कुमार यादव अवकाश में हैं, अंचल नाजिर श्री बालकृष्ण यादव तथा